भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2833
बुधवार, 18 मार्च, 2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन

2833. श्री नीरज शेखर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक हुए रोजगार सृजन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2019-20 से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में हुए रोज़गार सृजन का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में महिला कार्य बल को प्रदान किए गए नए रोजगार का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रही है:

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) उस प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन के गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान करती है। यह एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 (28.01.2020 को) के दौरान सृजित मानव दिवस का विवरण अनुबंध- I पर दिया गया है।

(ii) मंत्रालय द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर उद्यमों को स्थापित करने के लिए ग्रामीण निर्धनों की मदद करने के लिए 2017-18 से स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। सृजित रोजगार की वर्ष-वार संख्या अनुबंध- I पर है। इसके अलावा, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में दो अन्य योजनाएं भी देश में कार्यान्वित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं: -

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), जो कि मजदूरी रोजगार के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है।

(ख) ग्रामीण स्व रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास एक प्रशिक्षु को बैंक से ऋण लेने और अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम आरंभ करने में समर्थ बनाता है। ऐसे प्रशिक्षुओं में से कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई तथा आरएसईटीआई के अंतर्गत रोजगार/समायोजन में नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या अनुबंध- I पर दी गई है।

(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने, बाजारों और शहरी / अर्ध-शहरी विकास केंद्रों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से, ग्रामीण जनसंख्या के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सुधार किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़क की लंबाई की उपलब्धि का विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात 46.8% है जिसमें से संगठित क्षेत्र में अनुमानित कार्यबल 19.2% तथा असंगठित क्षेत्र में 80.8% था। इसके अतिरिक्त, देश में व्यापक औद्योगिक प्रभाग में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर सामान्य रूप से कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख क्षेत्रों का कार्यबल	2017-18
प्राथमिक	44.1%
द्वितीयक	24.8%
तृतीयक	31.1%

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुपात उपरोक्त सर्वेक्षण अवधि के लिए जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात उपलब्ध सीमा तक अनुबंध- II में दिया गया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 18.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजनाएं/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (लाख में)	**23565.00**	**23373.36**	**26796.95**	**20577.37 (28.01.2020 को)**
स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) के तहत सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या	**-**	**43615**	**61481**	**59481 (दिसम्बर, 2019 तक)**
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या	**147883**	**75787**	**138248**	**125668 (जनवरी, 2020 तक)**
आरएसईटीआई के तहत व्यवस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	**364536**	**350097**	**296307**	**207390 (जनवरी, 2020 तक)**
पीएमजीएसवाई के तहत पूर्ण की गई लंबाई	**47457.39**	**48715.03**	**49039.89**	**16117.83 (05.02.2020 तक)**

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 18.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) आयु समूहः 15 वर्ष और उससे अधिक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम/अखिल भारत	श्रम ब्यूरो						पीएलएफएस		
		2013-14			2015-16			(2017-18)		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	81.3	51.9	66.4	78.6	54.1	66.6	75.9	47.3	61.0
2	अरुणाचल प्रदेश	57.1	42.3	49.8	64.5	36.0	50.6	67.2	13.8	43.3
3	असम	78.6	20.1	50.7	71.4	17.5	46.4	75.0	10.6	43.8
4	बिहार	73.5	14.6	46.9	73.8	13.8	46.1	64.0	3.8	35.6
5	छत्तीसगढ़	78.3	48.8	63.9	82.2	61.7	72.1	77.5	52.8	65.5
6	दिल्ली	63.9	4.8	36.4	68.9	17.0	45.1	78.3	3.1	43.9
7	गोवा	64.4	15.9	41.9	71.7	17.5	43.8	69.0	25.1	46.1
8	गुजरात	81.5	32.6	58.0	78.2	23.8	52.0	74.4	21.6	49.1
9	हरियाणा	70.4	12.1	43.2	68.8	14.7	42.9	67.2	13.2	41.3
10	हिमाचल प्रदेश	70.7	42.1	56.7	65.5	13.7	39.7	71.2	50.0	60.2
11	जम्मू और कश्मीर	65.3	10.0	39.1	62.3	6.8	35.8	73.8	30.5	53.2
12	झारखंड	72.7	14.7	45.5	73.8	20.0	48.9	70.1	15.1	43.2
13	कर्नाटक	79.9	34.3	57.7	78.2	35.7	57.5	77.2	27.2	51.9
14	केरल	69.1	23.2	44.6	69.4	21.6	44.3	67.0	20.8	41.9
15	मध्य प्रदेश	82.3	33.2	59.4	70.5	18.5	45.9	78.0	34.9	57.3
16	महाराष्ट्र	76.4	44.7	61.2	74.6	45.5	60.3	72.8	36.7	55.0
17	मणिपुर	69.6	26.9	48.5	69.1	31.9	50.9	65.3	18.7	43.1
18	मेघालय	76.7	48.8	63.2	74.8	44.1	59.8	78.3	55.5	66.3
19	मिजोरम	80.0	53.0	67.6	74.6	63.4	69.1	73.1	25.9	50.2
20	नागालैंड	60.9	31.0	47.1	67.2	55.2	61.6	53.1	10.5	33.0
21	ओडिशा	76.0	21.2	50.0	75.8	17.3	47.8	73.6	18.9	45.6
22	पंजाब	69.1	7.7	39.7	69.4	8.8	40.1	67.7	12.5	41.1
23	राजस्थान	71.6	21.8	48.3	71.2	21.9	47.7	69.7	30.4	50.3
24	सिक्किम	72.7	27.9	52.4	68.1	21.5	45.7	74.2	45.8	60.6
25	तमिलनाडु	77.7	43.5	61.0	78.1	47.8	62.9	71.6	36.7	53.7
26	तेलंगाना	81.1	67.8	74.5	71.4	52.0	61.7	68.3	37.3	52.9
27	त्रिपुरा	75.4	16.2	45.5	73.6	15.6	44.6	71.1	10.3	42.5
28	उत्तराखंड	66.3	19.3	42.4	67.1	19.5	43.9	64.5	18.8	41.5
29	उत्तर प्रदेश	55.8	8.1	43.8	72.4	9.7	43.0	71.0	14.0	42.5
30	पश्चिम बंगाल	79.2	15.5	48.7	80.1	18.1	50.2	77.7	19.5	48.5
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	67.9	28.1	49.4	81.7	24.8	53.6	76.5	17.8	48.0
32	चंडीगढ़	75.4	6.8	42.2	75.0	3.6	43.7	73.6	14.4	47.0
33	दादरा और नगर हवेली	82.6	11.6	45.8	72.8	20.7	48.7	85.2	55.7	71.0
34	दमन और दीव	59.2	4.6	35.6	74.7	16.2	47.5	71.9	25.5	48.5
35	लक्षद्वीप	47.6	4.2	26.2	32.1	23.9	27.8	72.8	10.1	42.1
36	पुडुचेरी	64.9	24.5	44.7	81.3	29.4	53.2	63.3	6.6	33.7
अखिल भारत		71.6	27.2	52.1	74.1	24.6	50.4	72.0	23.7	48.1

(टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन अलग हैं)